

पर्याक-10/न-२।/०७प्र०-  
मानव संसाधन विभाग, बिहार।

त्रेता,

श्री अमेवल प्रसाद लिंग,  
निदेशक [माध्यमिक विभा], बिहार।

सेवा में,

श्री आनोख मानुषी,  
उदयपुर,  
केन्द्रीय माध्यमिक विभा बोर्ड,  
विभा बैरेंग, २ कम्पुनियो लेन्टर,  
नं. दिल्ली-११००९२।

बठना, दिनांक- मार्च, ०८।

विषय:- विद्यानन्द केन्द्रीय विद्यालय, बनौर, तिवान, बिहार को उनापनि  
प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाप्रधान,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नानुसार तृष्णित करना है कि तरकारी  
उचित्प्राप्तना संघर्ष २३८ दिनांक ३-५-२००६ के आनोख में विभा विभा पदा विकारी,  
विवान ते प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय द्रव्यवैधता के बारें उपलब्ध कराये गये।  
कागजात की तरीका उनापनि प्रमाण पत्र निर्णय करने हेतु निम्न विवारण  
तथा विवित बारें जीवन विद्यानन्द केन्द्रीय विद्यालय बनौर तिवान, बिहार  
को केन्द्रीय माध्यमिक विभा बोर्ड, नं. दिल्ली ते तम्बवैधता हेतु उनापनि प्रमाण  
पत्र निर्णय करने की उम्मीद की गयी है। तथा विवान विभा के आनोख में  
तमीकोपरांत विवित निम्नलिख हैः-

१- विद्यालय का नियान निर्वाचित संस्कृत छेत्रमें आर्योदायक  
द्रव्यारा किया जा रहा है। तथा विद्यालय ने निर्वाचित तोताइडी में एक प्रतिवार  
का प्रश्नाव न होने का प्रमाण पत्र तयरित किया है। द्रव्य के तदन्तों की तृष्णी दी  
गयी है, परन्तु तभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है। सामाजिक  
कार्यकर्ता एक सामाजिक झंडा है। इससे वार्ताविक व्यवस्था का पता नहीं चलता  
है। इस्ते के उन्नत विद्यालय के द्रव्य के प्रत्येक सदस्य के वार्ताविक पेशा को त्वचा  
करना चाहिए। तदन्तों की सूची निम्नानुसार है।

२- विद्यालय ने निम्नी निर्वाचित तोताइडीरन्द्रात के भेस्यार्जी उचिता -  
निम्नी विद्यालय के भेड़ नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

३- विद्यालय को निर्वाचन के माध्यम से २ रुपये ०७ डिल्ली रुपये ३०  
वर्षों के लीज पर उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक विभा बोर्ड, नं. दिल्ली  
के मापदंड के उन्नार करे निर्णय है। केन्द्रीय माध्यमिक विभा बोर्ड को इस

- 2

*J. Kumar*  
Principal  
Vigyanand Kendriya Vidyalaya  
Chanur Siwan (Bihar)



निरीक्षण कर यह तुमिहित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत ताक्षण्य सर्व तुमिहित बोर्ड के मानक के उन्नत है।

4- विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति तामाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परंतु ऐसा कोई ताक्षण्य नहीं दिया गया है, जिससे यह टप्पट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुकालन करते हुए पारदर्शिता प्रतीती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक विद्या बोर्ड को यह तुमिहित करना होगा कि शिक्षकों की वोगता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक विद्या विभाग द्वारा दी गयी विधियों के उन्नत है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित गुलकों, वार्षिक नेहो अवृद्धि तक वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तार्कजनिह करने का आश्वासन दिया गया है। अब विद्यालय अपने आश्वासन के उन्नत्य कार्रवाई हरे हस्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक विद्या बोर्ड, ज्व दिल्ली को तुमिहित करना होगा।

7- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिकृतना संघर्षा 238 दिनांक ३-५-२००६ में उल्लेखित और विभिन्न स्थीकार है। और इसे गतार्तों के उन्नताः-

1.1 विद्यालय में शिक्षा का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोत्त में निवाल करने वाले परिवार के बच्चों का नियुक्ति किया जायेगा तक उन्हें दूर्योग गुलक उचित किती उच्च प्रकार का गुलक नहीं किया जायेगा। ऐसे बच्चों की जेती में अनुचित जाति, जनजाति, विद्या वर्ग, उच्च संहिता, विद्यालय वा विद्यार्थी तक तामाज्य जेती के परिवार जिनकी आय उचिततम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष है।

1.1.1 विद्यालय में न्यारी/केऽजी०उच्चा प्राविक कक्षा में नामांकन के लिए जिती तरह की प्रक्रिया परीक्षा/ताक्षण्यकारी बच्चों रखे मात्रा पिता सहिती नहीं किया जायेगा। उनके नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित शिक्षा से उचित हो तो उन्हें तरीका से DSSW एवं Loks के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का ध्ययन किया जायेगा।

1.1.1.1 न्यारी/केऽजी० तक प्राविक बच्चों के लिए प्रदेश सेवे वाले ज्ञान बच्चों का विद्यालय हे आश्वास की दूरी उचिततम रुपयोगी० रखे उच्च प्राविक रखे माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु उचिततम दूरी ३ किमी० तक होगी। और इसे गतार्तों को विद्यालय द्वारा मान्य किया गया है किन्तु हस्त संबंध में ताक्षण्य हेतु प्रमाण प्रस्तुत

*Kumar*  
Principal  
Vigyanand Kendriya Vidyalaya  
Chanur Siwan (Bihar)



नहीं किया गया है।

117 विन बर्थों का नामांकन नहीं होता है उसे जी गई आवेदन  
गुरुक की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की  
प्रवक्ष्या होगी।

8- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के  
द्वारा किया गया है, पर वे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ज़ दिल्ली अपने  
उत्तर से जांच कर यह तुनिशियन हो जैसे कि विद्यालय उन्हें निर्णीत प्राप्तकांड के  
आधार पर तंत्यालित है।

9- ताकि ही बोर्ड को यह तुनिशियन करना होगा कि तैबंधित विद्यालय  
के द्वारा अपनी लहराती के अनुसार अनिवार्य रूप और वित्त भर्तों का उन्मालन किया  
जा रहा है। स्कूल को यह भर्त तार्वजनीकी करनी होगा तथा इसका उल्लेख हो  
प्रोत्येकत रूप ऐसाहार्ड में करना होगा। भर्तों के उत्तर्यन की शिथि में उनापरित  
प्राप्तवाच वापस लिया जायेगा तभी तम्बखून रद्द बरसे की कार्रवाई की  
जायेगी।

10- विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18-1-2008 द्वारा लिखा/कार्यों को  
शास्त्रीय रूप से दिए जाने तैबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन  
करना होगा।

11- विद्यालय बिहार सरकार के लिखा लिखान के नियंत्री पदाधिकारी  
के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी तम्य बुला रहेगा।

12- उपरोक्त तथ्यों के अलाक में तथा वर्ती भर्तों के आधार पर तथा  
विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय, घनोर लियान, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा  
बोर्ड, ज़ दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उनापरित दी जाती है।

विवातेवन,

80/-

। कम्पेनर प्रसाद सिंह ।  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा ।

जापांक- 348 पट्टना, दिनांक- 20 मार्च 08  
प्रतिलिपि विज्ञानन्द केन्द्रीय विद्यालय, घनोर लियान, बिहार को  
सूचनार्थ रूप जाकर कार्यवीर्य प्रृष्ठि।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा ।

6 अप्रृष्ट 26/3/08



Kumar  
Principal  
Vigyananand Kendriya Vidyalaya  
Chanaur Siwan (Bihar)